तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/5598/2006/अलवर** **श्रीमति बन्तो बनाम होशियारसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थित

श्री गौरव दवे, अभिभाषक प्रार्थी।

श्री जे.के.पन्त अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 27–12–2023

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–5–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– आलोच्य आदेशानुसार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय उनके समक्ष लम्बित अपील में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी खारिज कर पत्रावली में आगामी तारीख नियत की है ।

3– उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस निगरानी पर सुनी गई ।

4– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है । उनका कथन है कि प्रार्थी द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष लम्बित अपील में एक प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी प्रस्तुत कर कथन किया था कि एक दस्तावेज जिसके द्वारा मुखलसिंह पुत्र खोदड़ा सिंह लबाना सिख वासी बोलनी ने अपने जीवनकाल में अपनी चल, अचल सम्पत्ति की वसीयत प्रार्थी के हक में दिनांक 5–8–93 को तहरीर व तकमील करवाई थी और अपनी अंगूठा निशानी किए थे, उस वसीयत की प्रति व नामान्तरकरण संख्या 316 की प्रति इस प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है । उक्त प्रार्थना–पत्र का जबाव प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी द्वारा नकल दस्तावेज केंसिल डीड मुख्त्यारनामा क्रमांक 40 दिनांक 7–6–90 पेश किया गया है । उक्त दस्तावेज के संबंध में सहायक कलेक्टर, किशनगढबास द्वारा मुकदमा नंबर 43/2000 अनवार मुख्खलसिंह बनाम भगवानी वगैरह दिनांक 1–8–2001 द्वारा खारिज कर दिया जिसकी पर्चा डिक्री व फैसला जबाव संलग्न है । अतः प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे । अपीलीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की बहस

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/5598/2006/अलवर** **श्रीमति बन्तो बनाम होशियारसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सुनकर अपने निर्णय दिनांक 4–5–2006 द्वारा प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी खारिज कर दिया। उनका कथन है कि उक्त दस्तावेज न्यायालय को अंतिम न्याय निर्णय में सहायक सिद्ध होंगे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना–पत्र को निरस्त करने के जो कारण अंकित किए हैं, वे इसमें लागू नहीं होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया। प्रार्थीगण परीक्षण न्यायालय में पक्षकार ही नहीं थे, तो उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने का प्रश्न नहीं उठता। प्रार्थना–पत्र खारिज करने के जो कारण अंकित किए है वे त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि ये एक ऐसा दस्तावेज है, जो वाद का अंतिम निर्णय में सहायक होगा । अतः निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त कर प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जावे । 5– अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के अनुरूप है । उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की बहस सुनकर निर्णय पारित किया है जिसमें निगरानी के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है । उनका यह भी कथन है कि यह निर्णित वाद की श्रेणी में नहीं आता है, बल्कि अन्तरिम आदेश है, जिसकी निगरानी पोषणीय नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावे। 6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी एवं मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली का अवलोकन किया। 7– हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लम्बित अपील के दौरान प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी को खारिज कर पत्रावली में आगामी तारीख नियत की है । प्रार्थी द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील वर्ष 2000 में प्रस्तुत की गई जबकि उसके द्वारा यह प्रार्थना–पत्र अपील के साथ प्रस्तुत न कर वर्ष 2001 में 1 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है, जो विश्वसनीय नहीं है। उक्त आदेश पूर्णतया एक अंतरिम आदेश है और ऐसे अंतरिम आदेशों के विरूद्ध मण्डल में निगरानी पोषणीय नहीं है। इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल के ''जगदीश प्रसाद बनाम भोपालराम'' निगरानी संख्या 9867/2012/ नागौर के प्रकरण में माननीय पूर्णपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि अन्तरिम आदेश की निगरानी पोषणीय नहीं है। निगरानी का क्षेत्र सीमित होता है अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई विधिक या क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि/अनियमितता नहीं	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/5598/2006/अलवर** **श्रीमति बन्तो बनाम होशियारसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

है । ऐसे विधिसम्मत आदेशों में निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 230 मूलतः इस प्रकार है–

230- Power of the Board to call for cases- The Board may call for the record of any cases decided by any subordinate revenue court in which no appeal lies either to the Board or to a civil court under section 239 and if such court appears-

(a) to have exercised jurisdictions not vested in it by law:or

(b) to have failed to exercise jurisdictions so vested :or

(c) to have acted in the exercise of its jurisdictions illegally or with material irregularity.

Board may pass such orders in the cases as it thinks fit.

उक्त धारा में यह भी प्रावधित है कि जब निचले न्यायालय द्वारा कोई अधिकारिता संबंधी या प्रक्रिया संबंधी त्रुटि की जाती है तो पुनरीक्षण होता है। जब उपलब्ध सभी उपचार समाप्त हो जावे, तभी पुनरीक्षण किया जा सकता है। पुनरीक्षण की शक्ति पक्षकार का अधिकार नहीं है। यह न्यायालय का विवेकाधिकार है। इसमें केवल यही देखना होता है कि निचले न्यायालय ने अधिकारिता के बाहर जाकर कार्य किया है या प्रक्रिया के पालन में त्रुटियां की है। उक्त प्रावधानों के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हमें कोई तथ्यात्मक या क्षेत्राधिकारिता संबंधी त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है, जिससे कि निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किया जावे। अतः निगरानी सारहीन होने से निरस्त योग्य है ।

8– उक्त विवेचन के आधार पर निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है ।

पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर)

सदस्य